


यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 01 / 2023

तारीखरजू:- 5/1/23

उनवान:- रमेश बनाम कन्हैया

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर. टी. एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
5/1/23	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र बावत रास्ता अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. एक्ट मपद बावत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। सायल वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को प्रार्थना पत्र को सम्मन नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 01.02.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दुर्गा प्रसाद मीना) उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p> <p>1.2.23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी न० 1 लगा 7 की ओर से श्री देवेन्द्र शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। एवं अप्रार्थी न० 8 के नोटिस तामील फोट होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। एवं अप्रार्थी न० 9 पैरोकार सरकार उपस्थित। प० साहब करौली सिटिंग से पधारे है वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 28.2.23 को पेश हो।</p> <p>28/2/23 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक.....11.4.23 को पेश हो।</p> <p>12/4/23 राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.4.23 का अवकाश घोषित करने के कारन पत्रावली आज पेश हुई। वकील उपस्थित करान उप०। अप्रार्थी न० 1 लगा 7 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एड० ने जबाब पेश करने के लिए समय चाहा। लफ्त दिया गया। एवं अप्रार्थी न० 8 के फोट होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वास्ते काफत मुकाम तलबी एवं जबाब पेश करने हेतु दिनांक 9.5.23 को पेश हो।</p>

72-80
5/1/23



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

फर्द अहकाम

पत्तापत्री पेशा डूई / वकील पहाकावाण उपस्थित
 वकील उच्चपहाकावाण उपस्थित डूई वकील
 पहाकावाण को बस के लिए कार्रवाई मोटा
 दिया गया / वही बस डिनार २३.५२५
 को पेश डूई

२३ $\frac{4}{२३}$ पत्तापत्री पेशा डूई / वकील पहाकावाण उपस्थित
 नहीं / वही २ भावाण डीवाई वही इसके
 उपरांत भी कोही भी उपस्थित नहीं हुआ
 इससे धानी वकील का धानीना पत्र स्वाप
 २५। ५ भाग से रुक धानी वकील की कडम
 पेशी कडम डीवाई से इकाईज कडपा
 जाय है / पत्तापत्री केशवकुमार डीवाई
 नमक से कस कड डीवाई डीवाई